रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 17] नई दिल्ली, सोमवार, जनवरी 11, 2016/पौष 21, 1937
No. 17] NEW DELHI, MONDAY, JANUARY 11, 2016/ PAUSA 21, 1937

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 7 जनवरी, 2016

सा.का.नि. 17(अ).—केंद्रीय मोटरयान नियम, 1989 का और संशोधन करने के लिए कतिपय नियमों का निम्नलिखित प्रारूप, जिसे केंद्रीय सरकार, मोटर यान अधिनियम, 1988 (1988 का 59) की धारा 110 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बनाने का प्रस्ताव करती है, उक्त अधिनियम की धारा 212 की उपधारा (1) द्वारा यथा अपेक्षित उसके द्वारा संभाव्य प्रभावित सभी व्यक्तियों की जानकारी के लिए प्रकाशित किया जाता है; और नोटिस दिया जाता है कि उक्त प्रारूप पर, इस अधिसूचना के राजपत्र में प्रकाशित किए जाने पर उस तारीख से जब ये जनसाधारण को उपलब्ध कराई जाती है, तीस दिन की अवधि समाप्त होने के पश्चात् विचार किया जाएगा;

इन नियमों के संबंध में, आक्षेप और सुझाव, यदि कोई हो, तो संयुक्त सचिव, (परिवहन), सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय, परिवहन भवन, पार्लियामेंट स्ट्रीट, नई दिल्ली – 110001 को भेजे जा सकेंगे;

उक्त प्रारूप नियमों के संबंध में किसी व्यक्ति से पूर्वोक्त अवधि की समाप्ति से पूर्व प्राप्त किए गए आक्षेप या सुझाव पर केंद्रीय सरकार द्वारा विचार किया जाएगा ।

प्रारूप नियम

1. (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम केंद्रीय मोटरयान नियम (.......संशोधन) नियम, 2015 है ।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे ।

2. केंद्रीय मोटरयान नियम, 1989 (जिसे इसमें इसके पश्चात् मूल नियम कहा गया है) में, नियम 115ङ. के पश्चात् निम्नलिखित नियम अंत:स्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

"115च. ऊर्जा उपभोग मानक – (1) मोटरयानों का प्रत्येक विनिर्माता या आयातकर्ता जो नियम 126 के अधीन क्वाड्रीसाइकिल से अन्यथा कम से कम चार पहियों के साथ प्रकार अनुमोदित है, यात्रियों के और उनके सामान का वहन करने के लिए उपयोग किया जाता है और जो नौ सीटों से अनधिक, जिसके अंतर्गत ड्राइवर की सीट है से बना है और जिसका सकल भार 3500 किलोग्राम से अनधिक है जो भारत में विक्रय के लिए विनिर्मित या आयातित है प्रथम अप्रैल, 2017 को और से ऊर्जा संरक्षण अधिनियम, 2001 के उपबंधों के अधीन भारत सरकार में ऊर्जा मंत्रालय की अधिसूचना सं. का.आ. 1032 (अ), तारीख 23 अप्रैल, 2015 में यथाविनिर्दिष्ट औसत इंधन उपभोग मानकों के संबंध में ऊर्जा उपभोग मानकों का अनुपालन करेगा ।

(2) उपनियम (1) का अनुपालन सुनिश्चित करने हेतु प्रक्रिया समय-समय पर यथासंशोधित दस्तावेज संख्या एमओआरटीएच /सीएमवीआर /टीएपी – 115/116 में यथाअधिकथित होगी

(3) प्रथम अप्रैल, 2016 को या उसके पश्चात् विनिर्मित या आयातित उपनियम (1) में विनिर्दिष्ट किसी यान का प्रत्येक विनिर्माता या आयातकर्ता यान पर फ्यूल इकोनोमी स्टार रेटिग (एफ ई एस आर) लेबल चिपकाएगा, और पूर्वोक्त प्रकार के यान का व्यापार करने वाला प्रत्येक व्यौहारी विक्रय केन्द्र पर निम्नलिखित सारणी में यथाविनिर्दिष्ट परिकलित विभिन्न फ्यूल इकोनोमी लेवलों के लिए स्टार रेटिंग प्रमुखतया प्रदर्शित करे :-

सारणी

स्टार रेटिंग	**फ्यूल ईकोनोमी लेवल (पेट्रोल समान लीटर/100 कि.मी.)**
एक स्टार	एफसीआई > 0.00330 X डब्ल्यूआई + 3.0034
दो स्टार	0.00330 X डब्ल्यूआई + 3.0034 ≥ एफसीआई > 0.00264 डब्ल्यू आई + 3.0034
तीन स्टार	0.00264 X डब्ल्यूआई + 3.0034 ≥ एफसीआई > 0.00216 X डब्ल्यूआई + 3.0034
चार स्टार	0.00216 डब्ल्यूआई + 3.0034 ≥ एफसीआई > 0.00168 डब्ल्यू आई + 3.0034
पांच स्टार	एफसीआई ≤ 0.00168 X डब्ल्यूआई + 3.0034

जहां,—

डब्ल्यू आई = संबंधित राजकोषीय वर्ष में मॉडल आई के किलोग्राम में सीसारहित द्रव्यमान ; और

एफसीआई = किसी मॉडल आई के प्रति 100 किलोमीटर लीटर में फ्यूल उपभोग के समान पट्रोल:

परन्तु इस नियम में की गई कोई बात उपनियम 1 में विनिर्दिष्ट यानों के विनिर्माता या आयात कर्ता को 1 अप्रैल, 2016 से पूर्व फ्यूल इकोनोमी स्टार रेटिग स्वेच्छा से प्रदर्शित करने से निवारित नहीं करेगी ।

(4) (क) फ्यूल इकोनोमी स्टार रेटिंग का डिजाइन निम्नानुसार यथाविनिर्दिष्ट होगा :

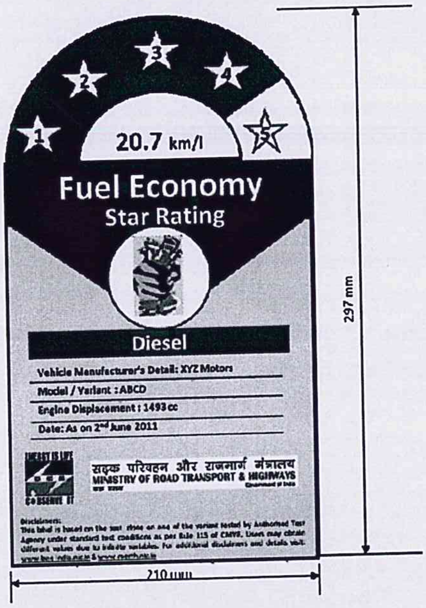

(ख) लेबलों का रंग, स्कीम और आकार समय-समय पर यथासंशोधित दस्तावेज संख्या एमओआरटीएच/सीएमवीआर/ टीएपी-115/116 में यथाविनिर्दिष्ट होंगे ।

टिप्पण:—1. ऐसे यानों की दशा में, जो एक ईंधन से अधिक द्वारा चालित होते हैं , जहां एक ईंधन द्रवित पट्रोलिय गैस या कमप्रेस्ड प्राकृतिक गैस है, फ्यूल इकोनोमी स्टार रेटिंग में, स्टार रेटिग और फ्यूल इकोनोमी का प्रदर्शन द्रवित पेट्रोलियम गैस या कमप्रेस्ड प्राकृतिक गैस मे संचालित यथालागू परीक्षण पर आधारित होगा।

2. द इंटरनेशनल सेंटर फॉर आटोमेटिव टैक्नोलोजी, मानेशर, हरियाणा प्रत्येक यान मॉडल और उसके वैरियंट के लिए विनिर्माता द्वारा अनुरोध पर आधारित लेबलों और उनकी संख्याओं का प्रयोग प्राधिकृत करेगा और खंड (ख) में विनिर्दिष्ट दस्तावेज में यथाविनिर्दिष्ट उपयोग हेतु प्राधिकृत प्रत्येक लेबल के लिए फीस प्रभारित करेगा।

[संख्या आर.टी-11011/04/2007-एमवीएल]

अभय दामले, संयुक्त सचिव

टिप्पण :—मूल नियम, भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग-II, खंड-3, उपखंड (i) में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 590 (अ), तारीख 2 जून, 1989 में प्रकाशित किए गए थे और अंतिम बार अधिसूचना संख्या..........(अ), तारीख .... द्वारा संशोधित किए गए।

MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS

NOTIFICATION

New Delhi, the 7th January, 2016

G.S.R. 17(E).—The following draft of certain rules further to amend the Central Motor Vehicles Rules, 1989, which the Central Government proposes to make in exercise of the powers conferred by section 110 of the Motor Vehicles Act, 1988 (59 of 1988), is hereby published as required by sub-section (1) of

section 212 of the said Act for information of all persons likely to be affected thereby; and notice is hereby given that the said draft rules will be taken into consideration after the expiry of thirty days from the date on which the copies of this notification as published in the Gazette of India, are made available to the public;

Objections and suggestions to these draft rules, if any, may be sent to the Joint Secretary (Transport), Ministry of Road Transport and Highways, Transport Bhawan, Parliament Street, New Delhi-110001.

The objections or suggestions which may be received from any person with respect to the said draft rules before the expiry of the period aforesaid will be considered by the Central Government;

DRAFT RULES

1. (1) These rules may be called the Central Motor Vehicles (……Amendment) Rules, 2015.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the Central Motor Vehicles Rules, 1989 (hereinafter referred to as the principal rules), after rule 115E, the following new rule shall be inserted, namely:—

(1) "**115F. Energy consumption standard—**(1) Every manufacturer or importer of motor vehicles which are type approved under rule 126, with at least four wheels, other than quadricycles, used for carriage of passengers and their luggage and comprising not more than nine seats including driver's seat, and of gross vehicle weight not exceeding 3,500 kg, manufactured or imported for sale in India, shall on and from the 1st April, 2017 comply with energy consumption standard in terms of Average Fuel Consumption Standards, as specified in Notification of Government of India in the ministry of Power number S.O.1072(E) dated 23rd April, 2015 under the provision of Energy Conservation Act, 2001.

(2) The procedure for ensuring compliance with sub-rule (1) shall be as laid down in Document No.MoRTH/CMVR/TAP-115/116, as amended from time to time.

(3) Every manufacturer or importer of a vehicle specified in rub-rule (1) manufactured or imported on or after 1st April, 2016 shall affix on the vehicle a Fuel Economy Star Rating (FESR) label, and every dealer dealing in a vehicle of the aforesaid description shall prominently display at the point of sale, the star rating for the different fuel economy levels, calculated as specified in the TABLE below:

TABLE

Star Rating	**Fuel economy levels (Petrol equivalent liter/100 km)**
One Star	$FCi > 0.00330 \times Wi + 3.0034$
Two Stars	$0.00330 \times Wi + 3.0034 \geq FCi > 0.00264\ Wi + 3.0034$
Three Stars	$0.00264 \times Wi + 3.0034 \geq FCi > 0.00216 \times Wi + 3.0034$
Four Stars	$0.00216\ Wi + 3.0034 \geq FCi > 0.00168\ Wi + 3.0034$
Five Stars	$FCi \leq 0.00168 \times Wi + 3.0034$

Where,—

Wi= Unladen mass in kilogram of a model i in the respective fiscal year; and

FCi = Petrol equivalent fuel consumption in liter per 100 kilometer of a model i.

Provided that nothing in this rule shall prevent a manufacturer or importer of the vehicles specified in sub-rule (1) to voluntarily display Fuel Economy Star Rating before the 1st April, 2016.

(4) (a) The design of Fuel Economy Star Rating shall be as specified below:

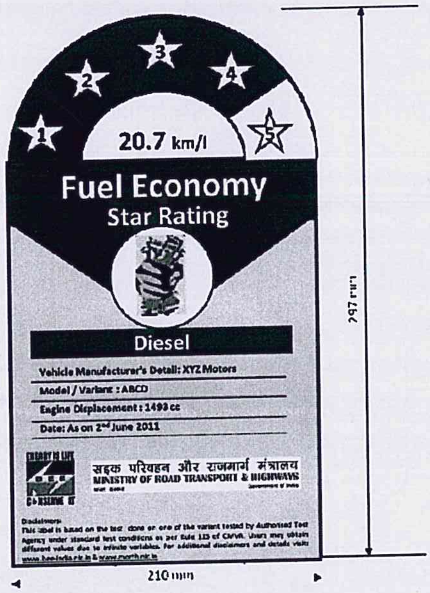

(b) The colour scheme and sizes of labels shall be as specified in Document No. MoRTH/CMVR/TAP-115/116, as amended from time to time.

Note:- 1. In case of vehicles which are powered with more than one fuel, where one of the fuels is Liquefied Petroleum Gas or Compressed Natural Gas, the star rating and display of fuel economy in the Fuel Economy Star Rating label shall be based on test conducted in Liquefied Petroleum Gas or Compressed Natural Gas mode, as applicable.

2. International Centre for Automotive Technology, Manesar, Haryana, shall authorize usage of labels and the numbers thereof, based on the request by manufacturer for each vehicle model and its variant and shall charge fee for each label authorized for usage as specified in the Document specified in clause (b).

[No.RT-11011/04/2007-MVL]

ABHAY DAMLE, Jt. Secy.

Note :- The principal rules were published in the Gazette of India, Extraordinary, Part-II, section 3, sub-section (i) vide notification number G.S.R. 590(E), dated the 2nd June, 1989 and last amended vide notification number ____(E) dated __________.

Printed by the Manager, Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.